



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा

दिनांक 27.01.25

थाना कोतवाली खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार जिसके कब्जे से एक अवैध देशी तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर व चोरी की हुई एक मोटर साइकिल महिन्द्र सेंटुरो बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध देशी तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर व चोरी की हुई एक मोटर साइकिल महिन्द्र सेंटुरो नंबर UP12AD5946 बरामद हुई है।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0स0 30/25 धारा 3/25 आयुध अधिनियम व 317(2) बीएनएस पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही हैं।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

शाहिल प्रीत पुत्र निर्मल सिंह निवासी ग्राम कवाड़का थाना कच्चा पक्का जिला तरन तारण राज्य पंजाब ।

बरामदगी का विवरण

- एक अवैध देशी तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर ।
- जनपद मुजफ्फरनगर से चोरी की हुई एक मोटर साइकिल महिन्द्र सेंटुरो नंबर

UP12AD5946

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री कुलजीत सिंह थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 2-है०का० 516 सतेन्द्र गिरि थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 3- का० 455 विजय सैनी थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 4-का० 1008 मिथुन कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।



प्रेस नोट
थाना दोघट

दिनांक-27.01.2025

थाना दोघट पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक सड़ा पर्चा, एक पैस व 470 रुपये नगद बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त राहुल पुत्र धर्मेन्द्र को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 01 पर्चा सड़ा, एक पैस व 470 रुपये नगद बरामद हुए हैं।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना दोघट पर मु०अ०सं० 021/2025 धारा 13 जी एक्ट (जुआ) पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

राहुल पुत्र धर्मेन्द्र निवासी ग्राम बामनौली थाना दोघट जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

01 पर्चा सट्टा गत्ता, एक अदद पैन व नकद कुल 470 रुपये बरामद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उपनि० श्री ब्रजेश पौनिया थाना दोघट जनपद बागपत ।

2-का० 951 पिताम्बर थाना दोघट जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट

दिनांक- 27.01.2025

थाना दोघट पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 20 पाउच अवैध देशी शराब बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 20 पाउच अवैध देशी शराब बरामद हुई हैं ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

प्रवेन्द्र पुत्र रणधीरा निवासी पट्टी धिमान कस्बा टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 20 पाउच अवैध देशी शराब ।



गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 विपिन कुमार गौतम थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0यूटी प्रांशू राजपूत थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 3.है0का0 607 सुरेन्द्र कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बडौत

दिनांक 27.01.2025

थाना बडौत पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्तों का नाम व पता-

जमशेद पुत्र जहूर उर्फ जाहुल निवासी ग्राम गुराना थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री पंकज कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
- 2-का0 666 रघुवीर सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-एचजी 275 वीरपाल सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बालैनी

दिनांक 27.01.2025

थाना बालैनी पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 06/25 धारा 296/109/115(2)/352/351(2)
बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 11.01.25 को थाना बालैनी पर वादी जयपाल पुत्र प्रकाश निवासी ग्राम मवीकलां थाना बालैनी जनपद बागपत ने एक लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों आशु पुत्र त्रिपाल निवासी ग्राम मवीकलां थाना बालैनी जनपद बागपत व 03 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी के पुत्र सूरजभान के सामने वादी की दिल्ली में पढ रही दोनों पुत्रियों को लेकर अश्लील फब्तियाँ कसी । इसकी शिकायत वादी द्वारा अभियुक्त आशु के पिता त्रिपाल से की गई तो अभियुक्तों द्वारा वादी के घर के गेट पर आकर गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की नियत से तमंचे से फायर किया । वादी व वादी के बेटे के साथ मारपीट की गई तथा जान से मारने की धमकी दी । इस सम्बंध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना बालैनी पर मु0अ0सं0 06/25 धारा 296/109/115(2)/352/351(2) बिएनएस पंजीकृत किया गया था ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 06/25

धारा 296/109/115(2)/352/351(2) बिऒनऒस में वऒंछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है ंव अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

परीक्षित पुत्र मनोज कुमार निवासी ग्राम मवीकलां थाना बालैनी जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री देवेन्द्र सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत ।

2-उ0नि0 श्री शीलेन्द्र सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली

दिनांक 27.01.2025

थाना बिनौली पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार,
जिसके कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध छुरा के साथ बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 30/2025 धारा 4/25 आर्मस एक्ट पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त का नाम पता-

कासिम पुत्र सईद उर्फ शहीद निवासी ग्राम शेखपुरा थाना बिनौली जनपद बागपत

बरामदगी का विवरण-

- एक छुरा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री रंजीत सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 231 सतेन्द्र सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 513 मुनेन्द्र भाटी थाना बिनौली जनपद बागपत ।





प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 27.01.2025

थाना सिंघावली अहीर पुलिस, एसओजी बागपत, सर्विलांस सैल बागपत की संयुक्त टीम द्वारा थाना सिंघावली अहीर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 32/25 धारा 103(1) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस बरामद ।

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 24.01.25 को थाना सिंघावली अहीर पर वादी शिवम पुत्र देवेन्द्र निवासी ग्राम हजूरबाद गढी थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ने सूचना दी कि अज्ञात अभियुक्तों द्वारा वादी के पिता देवेन्द्र उर्फ बिट्टू पुत्र होराम की हत्या कर दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 32/25 धारा 103(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया था ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस, एसओजी बागपत, सर्विलांस सैल बागपत की संयुक्त टीम द्वारा थाना सिंघावली अहीर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 32/25 धारा 103(1) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए प्रकाश में आये 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अंकित पुत्र करण सिंह निवासी ग्राम हजूरबाद गढी थाना सिंघावली अहीर जपनद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

- 1.मु0अ0सं0 32/25 धारा 103(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना सिंघावली अहीर जपनद बागपत ।
- 2.मु0अ0स0323/22 धारा 307/504/506 भादवि थाना सिंघावली अहीर जपनद बागपत ।
- 3.मु0अ0स0 85/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बालैनी जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्र0नि0श्री शिवदत्त थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत
- 2-व0उ0नि0श्री मुकेश कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत
- 3- है0का0210 दानवीर थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत
- 4-है0का0546 बिपिन सिरौही थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत
- 5- का0 399 राहुल चौहान थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत
- 6-सर्विलांस प्रभारी निरीक्षक श्री राकेश कुमार शर्मा मय टीम जनपद बागपत
- 7-एसओजी प्रभारी उ0नि0श्री सूर्यदीप सिंह मय टीम जनपद बागपत